

Form No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

2021/241

जज अदालत..... 37/बहाल अधिकारी मुकाम..... बहाल
 क्विस्त मुकदमा..... 2 पाल बिहे बनाव..... भाग बिहे वगैरे
 नं. 21207 अर् 145 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
13/11/21	<p>रुडो ग्रामी ने यह प्रार्थनापत्र द्या 21207 अर् के तहत पर रिफ्त एमने 150 ग्रामी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली-के तहत राजल अतिरिक्त का अथवा कर रिफ्त प्रकृत प्रमाण इत्यादि ग्रामी के हक में बगैरे कारण है कि अग्रणी गण-के रिफ्त अथवा रिफ्त अथवा अग्रणी गण-के पर रिफ्त रिफ्त अथवा अग्रणी गण-के गरी- रिफ्त गरी है कि प्रार्थनापत्र की मय इत्यादि 02 मं बाकी अग्रणी गण-के कर ग्राम शास्त्री तहसील भाग के ग्रामी के रिफ्त की अग्रणी गण-के मय अथवा अग्रणी गण-के इत्यादि बाकी कोई कापली- ही ल रिफ्त गरी-के मय अथवा अग्रणी गण-के उपरि है अथवा अग्रणी गण-के है। अग्रणी गण-के गरी रिफ्त लक्ष्य अथवा अग्रणी गण-के प्रकृत</p>	

MP
 उपजज अदिकारी
 बयब, जिला : भरतपुर, राज.



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>7/12/22</p>	<p>प्रमाण आग लप प्रामा के द्वारा प्रस्तुत प्रापना पत्र के आधार पर नालीक प्रेष से एक वजन हुआ. प्रामा ने 500 पत्र का निवेदन किया कि प्रामा एक कपडा प्रापना पत्र आगे नहीं चलाया था है प्रापना पत्र प्रामा इती स्तर पर रखा कि कि जाने का निवेदन किया. हमने 500 प्रामा व लप प्रामा को सुना। प्रमाण लप प्रामा के द्वारा प्रस्तुत प्रापना पत्र के आधार पर इती स्तर पर रखा कि कि जाना है प्रमाण के तहत हिके नखर से कह ही वापिस लप है</p>	<p>श्री जज श्री भूपलसिंह जानताइ 7-12-22</p>

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)